2025/271

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या ::-104/2025 दिनांक 22/5/25

अनवान

बालू लाल पिता जगना गुर्जर
निवासी- काटून्दा तह बेगूं प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

श्याम लाल पिता गिरधारी गुर्जर वगैरह
निवासी- काटून्दा तह बेगूं विपक्षी/विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बावत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री M.A. अजमेरी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा की आराजी संख्या 1191/8 .... कुल कीता- 01 कुल रकबा 0.8100 है कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा की आराजी संख्या 1191/8 .... कुल कीता- 01 कुल रकबा 0.8100 है भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न ::- प्रार्थना पत्र
कीता- (4)

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/353 दिनांक ::- 28/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 104/25 व अनवान बालू vs श्यामलाल प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

नोट- अगर किसी प्रकार का विवाद होतो अपनी टिप्पणी व पर्चा मौका सहित पुनः लौटावें।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)